



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2109 / SEIAA/2022

Date: 25/11/22

प्रति,

कलेक्टर

जिला - अशोकनगर (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - अशोकनगर (रित खनिज)

संदर्भ: आपका पत्र क्र. 1956 दिनांक 28/10/22


राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 757वी बैठक दिनांक 18.11.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/2022 में अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रित खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

".....समिति की अनुशंसा है कि अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रित खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 604वीं बैठक दिनांक 05/11/2022 के अनुमोदन प्रस्ताव को मान्य करते हुए अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रित खनिज) का अनुमोदन SEAC द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है। तदनुसार जिला कलेक्टर, अशोकनगर को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार कृपया अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की साफ्टकॉपी ई-मेल के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित है।

  
(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव

क्र..

/SEIAA/2022 भोपाल

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. संचालक, प्रशासन/तकनीकी, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016 की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव



Final-Review  
OTS

# जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

खनिज- रेत (संशोधित)

जिला- अशोक नगर (2021-22)



As Per Notification No. S.O. 141(E), 15<sup>th</sup> January, 2016, S611(E), 25<sup>th</sup> July 2018, New Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC), Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020

प्रस्तुतकर्ता

श्रीमती पूजा वानखेडे  
कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा)  
जिला- गुना (म.प्र.)

*A. K. Sharma*

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parvathan Parvatan  
E-5, Aera Colony, Bhopal (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक / 179 / खनि / 3-6 / 2022 /  
प्रति.

अशोकनगर, दिनांक 01 / 11 / 2022

सदस्य सचिव,  
SEAC (रोक), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,  
भोपाल 460030


विषय :- संशोधित रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) प्रस्तुत करने  
बाबत।

संदर्भ :- संचालक, भौगिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.22

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्र./587/खनि/3-6/2022 अशोकनगर दिनांक 13.04.2022 द्वारा सस्टेनेबल में सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 एवं इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग फार माईनिंग 2020 के अंतर्गत अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जाकर दिनांक 05.08.2022 को जिले की एन.आई.सी. पोर्टल पर दावा/आपत्ति हेतु अपलोड की गई, तत्पश्चात् राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष दिनांक 26.08.2022 को प्रस्तुत किया गया, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ति कर रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी।


उपरोक्तानुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से अनुरोध पश्चात् डी.एस.आर. में लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आते ही त्रुटि संशोधन करने हेतु जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष डी.एस.आर. प्रस्तुत की गई, समिति के अनुमोदन पश्चात् पुनः संशोधित डी.एस.आर. को दिनांक 21.10.2022 को जिले की एन.आई.सी. पोर्टल पर दावा/आपत्ति हेतु अपलोड किया गया, तत्पश्चात् संशोधित डी.एस.आर. आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई कृपया सूचनार्थ।

  
सहायक खनि अधिकारी  
जिला - अशोकनगर (म0प्र0)

अशोकनगर, दिनांक 01 / 11 / 2022

पृ0क्रमांक / 179 / खनि / 3-6 / 2022 /  
प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, सिया सचिवालय पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.2022 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
सहायक खनि अधिकारी  
जिला - अशोकनगर (म0प्र0)

100/

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक / 174 / खनि / 3-6 / 2022 /

अशोकनगर, दिनांक 21/10/2022

प्रति,

सहाय्य सचिव,

SIAC (सीक) मध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी,

भोपाल 46000

विषय - संशोधित रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) प्रस्तुत करने  
बाबत।

संदर्भ - सचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.22

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालयीन  
क्रमांक / 587 / खनि / 3-6 / 2022 अशोकनगर दिनांक 13.04.2022 द्वारा सस्टेनेबल में  
मध्य माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 एवं इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग फार माईनिंग 2020 के  
अंतर्गत अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया  
जाउन राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष दिनांक 26.08.2022 को प्रस्तुत किया  
गया। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में दिये  
गये निर्देशानुसार पूर्ति कर रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई  
थी। किन्तु समिति से अनुरोध पश्चात् डी.एस.आर. में लिपिकीय त्रुटि का संशोधन कर जिले की  
समिति के समक्ष डी.एस.आर. प्रस्तुत की गई थी, समिति के अनुमोदन पश्चात् पुनः संशोधित  
डी.एस.आर. आयकी और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संदर्भ :- संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट -  
रेत खनिज की मूल प्रति

  
कलेक्टर

जिला - अशोकनगर (म.प्र.)

अशोकनगर, दिनांक 21/10/2022

क्रमांक / 174 / खनि / 3-6 / 2022 /

सचालक

1. सहाय्य सचिव, मिया सचिवालय पर्यावरण भवन, भोपाल की ओर सूचनाएं प्रेषित।

2. सचालक प्रशासन तथा खनिकर्म, 29-ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर  
पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.2022 के तालिका में सावर सूचनाएं प्रेषित।

  
कलेक्टर

जिला - अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक 13/10/2022

अशोकनगर दिनांक 20/10/2022

सहायक खनिज अधिकारी  
जिला अशोकनगर (डी.एस.आर.)  
अशोकनगर


जिला अशोकनगर (डी.एस.आर.) के सचिव में बैठक वाचक।

000

उपरोक्त विषयावर्तित लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 3382/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा जिला अशोकनगर (डी.एस.आर.) तैयार करने हेतु पत्र क्र 587 दिनांक 13.04.2022 को जारी किया गया है।

उपरोक्तानुसार संशोधित डी.एस.आर. के प्रारूप के संबंध में दिनांक 13.10.2022 को साय 5.00 बजे कलेक्टर कार्यालय में बैठक रखी गई है, कृपया अनुरोध है कि आपस में मिलकर बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।


(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

  
सहायक खनिज अधिकारी  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक 13/10/2022 / खनिज / 3-6/2022 /

अशोकनगर दिनांक 20/10/2022

कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित

  
सहायक खनिज अधिकारी  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)



लोकोपयोगी योजनाओं की सूची  
 लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई  
 दिनांक 20/10/21

क्र.सं.	उम्मीदवारों का नाम	पद नाम	दिनांक
1	राजेश कुमार	अधिकांशिक अधिकारी (जनक)	20/10/21
2	विजय साधव	SDM Nagarh	20/10/21
3	रवि सुखवीर	SDO/EDM Mungamali	20/10/21
4	आर्यभट्ट शंकर	उपनिवेश अधिकारी	20/10/21
5	सुधांशु शिखरी	जिला पंचायत अधिकारी म.उ. प्रभाग - मुनाली	20/10/21
6	अशोक कुमार सिंह	कायपालन सहायक जिला सहायक अंगणवाडी	20/10/21
7	अशोक शिखरी	सहा. अधीक्षक (अधिसा.)	20/10/21



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, मन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिषद, ई-6, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट - <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466959  
फैक्स नं. - 0755-2462130

No: 1620 / SEIAA/2021

Date: 11.8.2021

प्रति

संचालक  
भौगिकी तथा खनिज  
29 ए, खनिज भवन,  
अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

विषय: नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण, मन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 एवं 25.07.2018 के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 05 वर्ष में अद्यतन (Update) किया जाना है।

उक्त संबंध में प्रत्येक जिले के खनिज अधिकारी को निर्देशित किया जाये कि MP SEIAA में प्रस्तुत किये जाने वाले पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के जिलेवार खनन प्रकरणों के आवेदनों के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा संलग्न किये जा रहे परियोजना प्रस्ताव को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में अनिवार्यतः सम्मिलित करें।

साथ ही संबंधित जिले के खनिज अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को यह भी प्रमाण-पत्र प्रदान करें कि वर्ष 2016-17 के उपरांत स्वीकृत खदानों को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनिवार्यतः सम्मिलित किया जायेगा। इसके उपरांत ही SEIAA द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन मान्य किए जायेंगे।

(श्रीमन् शुभला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1621 /SEIAA/2021

दिनांक - 11.8.2021

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. खनिज विकास निगम, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव



कार्यालय  
संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म  
मध्यप्रदेश  
29-ए, "खनिज भवन", अरिया हिल्स, भोपाल  
फोन एवं फैक्स : 0755-2551795  
E-mail : dirgeotm@mp.nic.in

क्रमांक  
प्रति,

7981

खनिज विविध ल.क्र. 2022,

भोपाल, दिनांक 03/3/22

समस्त कलेक्टर  
(खनि शाखा)  
मध्यप्रदेश

विषय : सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेण्ड माइनिंग 2020 के अंतर्गत रेत खनिज हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में।

प्रत्येक जिले में सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेण्ड माइनिंग 2020 गाईडलाईन के तहत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) तैयार की जानी है। जिले की डीएसआर तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध पवन कुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेण्ड माइनिंग 2020 के पालन में प्रारूप डीएसआर निम्न समिति द्वारा तैयार की जानी है :-

1. अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व)
2. जल संराधन विभाग के अधिकारी
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नामांकित अधिकारी
4. वन विभाग के अधिकारी
5. जिले के खनि अधिकारी/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पदस्थ अधिकारी

उपरोक्तानुसार तैयार प्रारूप डीएसआर को जिला कलेक्टर द्वारा सिएक (SEAC) को अवेधित की जायेगी। सिएक (SEAC) द्वारा इसे सिया (SEIAA) को प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2ml  
(राकेश कुमार श्रीवास्तव)  
भा.प्र.से.  
संचालक  
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

पृ.क्रमांक  
प्रतिलिपि :-

2982-86

/खनिज/विधिघ/न.क्र. 1/2022

भोपाल, दिनांक 03/3/22

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग की ओर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, वन विभाग, पर्यावरण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी भोपाल।
4. खनि अधिकारी जिला ..... मध्यप्रदेश की ओर संचालनालय द्वारा डीएसआर तैयार किये जाने हेतु नियुक्त एजेंसी द्वारा यदि प्रारूप डीएसआर तैयार किया जा चुका है तब इस प्रारूप डीएसआर का परीक्षण उपरोक्तानुसार गठित समिति से कराया जाये। समिति द्वारा इस प्रकार तैयार प्रारूप का अनुमोदन कर जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रभारी अधिकारी, भौमिकी शाखा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर पालनार्थ।

संचालक  
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

**कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला अशोकनगर (म.प्र.)**

क्रमांक / 587 / खनि / 3-6 / 2022 /


अशोकनगर, दिनांक 13 / 04 / 2022

**// आदेश //**

शासन से प्राप्त पत्र क्र. 2981 दिनांक 03.03.2022 एवं सिया का पत्र क्र. 3343 दिनांक 17.03.2022 द्वारा जिले में सरस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग फार सेंड माईनिंग 2020 के अंतर्गत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है तथा तैयार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रारूप का परिक्षण उपरांत अनुमोदन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
  2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग
  3. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामांकित अधिकारी
  4. वनमण्डलाधिकारी द्वारा नामांकित अधिकारी
  5. खनिज अधिकारी / सहायक खनिज अधिकारी
- उपरोक्तानुसार समिति गठन की जाती है।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)


  
सहायक खनि अधिकारी  
जिला अशोकनगर

पृ0क्रमांक / 587 / खनि / 3-6 / 2022 /

अशोकनगर, दिनांक 13 / 04 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, प्रशासन तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
सहायक खनि अधिकारी  
जिला अशोकनगर

# District Survey Report Ashoknagar

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3661-3662/2020 (विहार एवं अन्य विरुद्ध प्रवन कुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुसार एवं सस्टेनेबल सेक्टर माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 एवं इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग एंड सेक्टर माईनिंग 2020 के पालन में संचालक महोदय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल, दिनांक 03.03.2022 तथा कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर के आदेश 587 दिनांक 13.04.2022 के पालन में प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Report) निम्न समिति द्वारा तैयार कर अनुमोदित की गई :-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4
1	शिव मन्वरीष	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (प्रशासक) जिला - अशोकनगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग - अशोकनगर
2	श. के. अहिरवाट	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, जिला अशोकनगर	★ EE
3	सुधाशु तिवारी	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामांकित अधिकारी,	राज. 6. क्षेत्रीय कार्यालय ब.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नेस विजयपुर, विस्तारगुना (म.प्र.) फोन नंबर - 478112
4	श्रीधर शंकर (अपवनामा अधिकारी)	वनमण्डलाधिकारी द्वारा नामांकित अधिकारी	वन मण्डलाधिकारी (सहा) वन मण्डल अशोकनगर
5	अशोक कुमार दिगारे	खनिज अधिकारी / सहायक खनिज अधिकारी	सहा. खनिज अधिकारी जिला अशोकनगर (म.प्र.)



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940

No. 2827]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3611(ब).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा पूर्व पर्यावरण निकासी के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना को का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया है, जिसमें गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को विहित किया गया है;

और रांची स्थित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1806, स्वप्रेरणा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (पीआईएल) सं. 2013 की 290, हेमंत कुमार शिल्कारवर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में, अन्य बातों के साथ, तारीख 11 अप्रैल, 2018 और 19 जून, 2018 के आदेश में बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने या बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राज्य सरकार और/या जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निदेश दिया है;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करती है;

और केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

4250 GI/2018

(1)

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Parvavaran Parisar  
F-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

**अनुक्रमाणिका**  
**(Table of Contents)**

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना (Introduction)	1
2.	जिला अशोकनगर में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Ashoknagar)	6
3.	अवस्थिति क्षेत्र और वैधता की अवधि सहित जिले में खनन पट्टे की सूची (Detail List of Leases & Their Period of Validity, Area and Locations)	7
4.	विगत तीन वर्षों के राजस्व का ब्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)	8
5.	विगत तीन वर्षों के उत्पादन का ब्यौरा (Production Details of Last Three Years)	8
6.	जिले की नदियों में तलछटों के जमाव की प्रक्रिया (Process of Deposition of Sediments in the Rivers of the District)	8
7.	अशोकनगर जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Ashoknagar District)	12
8.	जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)	13
9.	जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)	18
10.	जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Detail of Rainfall and Climate Condition of the District)	21
11.	जिला अशोकनगर का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Ashoknagar)	21

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	रिपोर्ट में अतिरिक्त अंतर्विष्ट बिन्दु (In Addition to the Above, the Report Shall Contain the Following) (क) जिलावार नदी या धारा और अन्य रेत के स्रोत के ब्यौरे (District Wise Detail of River or Stream & Other Sand Source) (ख) जिलावार रेत या कंकड या समग्र संसाधनों की उपलब्धता (District Wise Availabilty of Sand or Gravel or Aggregate Resources) (ग) जिलावार विद्यमान रेत के खनन पट्टे के ब्यौरे ओर समग्र (District Wise Detail of Existing Mining Leases of Sand and Aggregates)	23
13.	जिले में मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली- एनेक्जर I (Drainage System with Description of Main Rivers in the District- Annexure I)	23
14.	जिले में महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताये- एनेक्जर II व एनेक्जर III (Salient Features of Important Rivers and Streams- Annexure II & Annexure III)	24
15.	खनिज क्षमता- एनेक्जर IV (Mineral Potential- Annexure IV)	25
16.	जिले में स्थित नदी व जलधारा तथा रेत स्रोत की जानकारी (Information About River & Stream & Sand Source Location in the District)	26
17.	जिले में गौण खनिज रेत की वर्ष 2023 के पश्चात नीलाम की जाने वाली प्रस्तावित रेत खदानों का ब्यौरा (Details of Minor Mineral Sand Mines Proposed to be Auctioned)	28

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	After Year 2023)	
18.	अशोकनगर जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृति शीर्ष एवं ढलान का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the Ashoknagar District)	29
19.	जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface water & Ground water Scenario in the District)	33
20.	पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)	37
21.	पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)	38
22.	खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)	39
23.	जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)	40
24.	जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)	41
25.	जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Management)	43

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.

(MPCO)

Parvatan Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



## List of Maps

<b>Nos.</b>	<b>Maps</b>
1.	<i>Location Map</i>
2.	<i>Toposheet Map</i>
3.	<i>Satellite Map</i>
4.	<i>Base Map</i>
5.	<i>Geological &amp; Mineral Map of Madhya Pradesh</i>
6.	<i>Tehsil Map</i>
7.	<i>Land Use/Land Cover Pattern Map</i>
8.	<i>Forest Map</i>
9.	<i>Soil Map of Madhya Pradesh</i>
10.	<i>Soil Map</i>
11.	<i>Seismic Zone Map</i>
12.	<i>Geological Map</i>
13.	<i>District Resource Map</i>
14.	<i>Catchment Area Map</i>
15.	<i>Proposed Sand Quarry Map</i>
16.	<i>Geomorphological Map</i>
17.	<i>Physiographical Map</i>
18.	<i>Digital Elevation Model (DEM) Map</i>
19.	<i>Slope Map</i>
20.	<i>Drainage Map</i>
21.	<i>Water Resources Map</i>
22.	<i>Ground Water Potential Zone Map</i>
23.	<i>Watershed Map</i>




*Aseelan*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(SEIAA)  
Paryavaran Paricer  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

## 01- प्रस्तावना (Introduction)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना अनुसार गौण खनिज रेत एवं अन्य गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक-पृथक तैयार किये जाने के प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं, जिसके अनुक्रम में शासन स्तर से प्राप्त अद्यतन निर्देश अनुसार जिला अशोक नगर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तावना उपबिन्दु से शुरू होकर प्रस्तावित प्रारूप अनुसार अग्रांकित रूप से तैयार की है। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, जिससे जिले की उपलब्ध खनिज संपदाओं की उपलब्धता एवं उनकी अवस्थिति संबंधित सूचनाओं का संकलन है।


खनिज की उपलब्धता एवं आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्लान में चाहे गये खनिज के दोहन हेतु अपनी यह अनुशंसा जारी कर सकेगी कि प्रस्तुत अवस्थिति पर खनिज की उपलब्धता है एवं जारी की जाने वाली सम्मति हेतु उपर्युक्त परिस्थितियां खनन स्थल पर है, साथ ही पर्यावरण से संबंधित यह आंकलन भी इस आधार पर संभव हो सकेगा कि पट्टाधारी को पर्यावरण सम्मति प्रदान की जावे अथवा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन में कुछ आवश्यक सुधार पश्चात सम्मति प्रदाय हेतु अनुमोदन किया जावे।

## मध्यप्रदेश राज्य में जिला अशोक नगर की स्थिति



जिला अशोक नगर पूर्वकाल में जिला गुना का हिस्सा हुआ करता था। जिला अशोक नगर का गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ। अशोक नगर को पूर्व में 'पछार' के नाम से जाना जाता था तथा इसके नामकरण के पीछे ऐतिहासिक किंवदन्ती है कि उज्जैन पर विजय के पश्चात् सम्राट अशोक ने लौटते हुए यहाँ की पछार भूमि पर रात्रि विश्राम किया था, जिसके बाद 'पछार' का नाम अशोक नगर पड गया। अशोकनगर जिला मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है तथा इसका क्षेत्रफल 4,674 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है तथा जिले में कुल 08 तहसीलें हैं जो कि- अशोक नगर, चंदेरी, ईसागढ, मुंगावली, नईसरॉय, पिपरई, बहादुरपुर और शाढौरा तथा 04 ब्लॉक क्षेत्र जो कि अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ और मुंगावली हैं। यह जिला पश्चिम दिशा में गुना, उत्तर दिशा में शिवपुरी, दक्षिण दिशा में विदिशा तथा सागर व पूर्व दिशा में उत्तरप्रदेश राज्य के ललितपुर से परिसीमित है। जिला अशोकनगर रेल मार्ग एवं पक्के सडक मार्गों से जुडा हुआ है। वर्तमान में, जिला अशोकनगर में 03 विधानसभा निर्वाचन सीट- अशोक नगर, चंदेरी तथा मुंगावली है, जो कि गुना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अशोकनगर जिला समुद्र तल से 507 मीटर (1663 फीट) की औसत ऊँचाई पर स्थित है।

### जिला अशोक नगर- अध्ययन क्षेत्र




*Signature*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)


Parvati Park  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

जिला अशोकनगर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट संख्या 54 H/6, H/7, H/9, H/10, H/11, H/13, H/14, H/15 एवं H/16 तथा 54 L/1, L/2 एवं L/3 के अंतर्गत विद्यमान है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 507 मीटर (1663 फीट) है। जिला अशोकनगर 24°00'00"N - 25°00'00"N व 77°30'00"E - 78°15'00"E, अक्षांतरो देशांतरों के मध्य स्थित है।

### जिला अशोकनगर का उपग्रह चित्रण



Satellite Images, अंतरिक्ष से मानव निर्मित उपग्रहों द्वारा बिना किसी Physical Object के उपयोग द्वारा पृथ्वी के वास्तविक चित्रण को दर्शाती हैं, उक्त उपग्रह चित्रण जिला अशोकनगर को दर्शा रहा है।



अशोक नगर के मुंगावली में प्रदेश की पहली खुली जेल 'नवजीवन शिविर' स्थापित की गई है। अशोक नगर की ईसागढ़ तहसील में 'आनंदपुर साहिब' नामक धार्मिक स्थल स्थित है, जिसकी स्थापना महाराज परमहंस दयाल जी ने सन् 1939 में की थी। अशोकनगर जिले में 'शैव सम्प्रदाय' का चंदेल मठ स्थित है।

अशोक नगर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना स्थित है। सन् 1972 में बनी राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इस परियोजना को 'माता टीला' या 'लक्ष्मीबाई परियोजना' के नाम से भी जाना जाता है।

अशोक नगर जिले में बेतवा व सिंध नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अशोक नगर जिले की अधिकांश सीमा बेतवा एवं सिंध नदी निर्धारित करती है। बेतवा नदी अशोक नगर जिले के पूर्वी भाग में बहती है जो कि इसे जिला सागर एवं उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले से विभक्त करती है।


अशोक नगर जिले से दक्षिण दिशा की ओर तूमैन स्थित हैं। यहाँ खुदाई में प्राचीन मूर्तियाँ निकलती रहती हैं, इसे राजा मोरध्वज की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन दार्शनिक स्थल हैं- बलराम मंदिर, हजार मुखी महादेव मंदिर, त्रिवेणी संगम, माँ पहाड़ा वाली मंदिर, आदि कई स्थल हैं। तूमैन स्थित 'त्रिवेणी संगम' को गुप्त गंगा भी कहा गया है तथा धार्मिक मान्यता अनुसार इसका महत्व गंगा नदी के संगम के बराबर माना गया है। अशोकनगर जिले में थुबोन में जैन सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल मौजूद हैं जिन्हें थुबोनजी के नाम से जाना जाता है।

अशोक नगर जिले में प्रसिद्ध करीला माता (सीता माता) का मंदिर स्थित है। धार्मिक किंवदंती है कि करीला में भगवान श्रीराम व माता सीता के पुत्रों लव-कुश का जन्म महर्षि वाल्मिकी के आश्रम में रंगपंचमी के दिन हुआ था। फाल्गुन माघ के रंगपंचमी के दिन यहाँ पर विशाल मैले का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर दूर-दूर से जनमानस दर्शन के लिए आते हैं।

अशोक नगर जिला अपनी अनाज मंडी एवं 'शरबती गेहूँ' (गेहूँ का प्रकार) के लिए प्रसिद्ध है। अशोक नगर जिले की तहसील चंदेरी की स्थापना 10 वीं व 12 वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। चंदेरी के किले में प्रसिद्ध नौखण्ड महल, खूनी दरवाजा, हवा महल तथा जौहर कुंड आदि प्रमुख स्थल स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि चंदेरी किले में स्थित जौहर कुण्ड में बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। अशोक नगर का चंदेरी शहर हाथ से बुनी हुई कलात्मक साड़ियों के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है, यहाँ की साड़ियों को 'चंदेरी सिल्क' साड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य-प्रदेश देश का पहला व एकमात्र राज्य है जिसने चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराया है। अशोक नगर जिला चंदेरी साड़ी की प्रसिद्धि के साथ-साथ मखमल उद्योग के लिए भी जाना जाता है। चंदेरी में ही महान संगीतकार 'बैजू बावरा' की समाधि स्थित है। चंदेरी में 'कौशक महल' स्थित है जिसका निर्माण सन् 1445 ई. में मालवा के महमूद खिलजी ने करवाया था। 'कौशक महल' को 'तावरी-ई-फरीश्ता' के नाम से भी जाना जाता है। चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह ने सन् 1857 की क्रांति में भाग लिया था।

**02- जिला अशोकनगर में खनन कार्यकलापो का विहंगावलोकन (Overview of Mining Activities in District Ashoknagar)**

मध्यप्रदेश का भूविज्ञान तथा खनिज मानचित्र  
GEOLOGICAL AND MINERAL MAP OF MADHYA PRADESH



**जिला अशोकनगर- तहसीलवार अध्ययन क्षेत्र**



जिला अशोक नगर मध्यप्रदेश में गौण खनिज दोहन हेतु एक महत्वपूर्ण जिला है। जिसमें खनिज रेत, गिट्टी हेतु पत्थर, मुरुम, फर्सी पत्थर, खण्डा बोल्डर, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

*A. K. Singh*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parishad  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

### 03- अवस्थिति क्षेत्र और वैधता की अवधि सहित जिले में खनन पट्टे की सूची (Detail List of Leases & Their Period of Validity, Area and Locations)

जिला अशोकनगर में गौण खनिज रेत की 06 खदानें हैं, जिनमें नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।

#### जिला अशोक नगर स्थित प्रस्तावित रेत खदानों की सूची

क्र.	जिला	नदी का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा क्र.	रकबा (हे.)	अक्षांश-देशांश
01.	अशोक नगर	सिंध	शादौरा	खैरोना	01	3.000	A N 24°43'59.58" E 77°33'11.38" B N 24°44'18.84" E 77°33'25.11" C N 24°44'18.06" E 77°33'25.87" D N 24°44'00.08" E 77°33'12.92"
02.	अशोक नगर	छोछ	नईसराय	देपालखेड़ी	359,360,363	3.063	A N 24°53'03.39" E 77°39'21.52" B N 24°53'04.39" E 77°39'21.88" C N 24°52'51.95" E 77°39'43.90" D N 24°52'51.48" E 77°39'42.78"
03.	अशोक नगर	सिंध	नईसराय	शाजापुर	1/1	4.000	A N 24°54'41.29" E 77°36'26.66" B N 24°54'58.35" E 77°36'29.03" C N 24°54'58.53" E 77°36'31.73" D N 24°54'40.78" E 77°36'29.55"
04.	अशोक नगर	बेतवा	मुंगावली	मदरुखेड़ी	180/167, 622/614	3.369	A N 24°26'54.41" E 78°15'37.55" B N 24°26'55.07" E 78°15'37.89" C N 24°26'51.75" E 78°15'50.28" D N 24°27'10.45" E 78°15'45.45" E N 24°27'10.98" E 78°15'46.86" F N 24°26'50.90" E 78°15'51.14"
05.	अशोक नगर	केथन	मुंगावली	कुम्हरा	194	5.500	A N 24°21'01.56" E 78°0'40.75" B N 24°21'00.49" E 78°0'39.85" C N 24°21'11.71" E 78°1'04.64" D N 24°21'12.72" E 78°1'04.32"
06.	अशोक नगर	केथन	गोरा बहादुरपुर	गोरा बहादुरपुर	178	3.000	A N 24°18'19.98" E 77°57'37.70" B N 24°18'18.66" E 77°57'37.39" C N 24°18'07.52" E 77°57'46.41" D N 24°18'07.05" E 77°57'48.10"



#### 04- विगत तीन वर्षों के राजस्व का ब्यौरा (Revenue Details of Last Three Years)

मध्यप्रदेश शासन को जिला अशोकनगर से विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले में उपलब्ध अन्य गौण खनिज से 8.66 करोड राजस्व की प्राप्ति हुई है अतः खनिज उपलब्धता के दृष्टिकोण से जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश राज्य का अन्य गौण खनिज उपलब्धता वाला एक महत्वपूर्ण जिला है। परन्तु तकनीकी कारणों से रेत खनिज की खदानें असंचालित होने के कारण विगत 03 वर्षों से राजस्व की प्राप्ति जिले में निरंक रही है।

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	खनिज	प्राप्त राजस्व (लाख रूपयों में)
1.	2019-20	रेत	निरंक
2.	2020-21	रेत	निरंक
3.	2021-22	रेत	निरंक

#### 05- विगत तीन वर्षों के उत्पादन का ब्यौरा (Production Details of Last Three Years)

तकनीकी कारणों से रेत खनिज की खदानें असंचालित होने के कारण विगत 03 वर्षों से जिले में उत्पादन निरंक रहा है।



वित्तीय वर्ष	खनिज	उत्पादन (घ.मी.)
2019-20	रेत	निरंक
2020-21	रेत	निरंक
2021-22	रेत	निरंक

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPAO)  
Paritosh Kumar Parisar  
E-5, Anus Colony, Chopel (M.P.)

#### 06- जिले की नदियों में तलछटों के जमाव की प्रक्रिया (Process of Deposition of Sediments in the Rivers of the District)

नदी की गति धीमी होने पर नदियों में गाद जमा हो जाती है। कंकड़ और रेत जैसे बड़े, उभयलिंगी कण पहले जमा किए जाते हैं, जबकि हल्का सिल्ट और मिट्टी केवल तभी जमा होती है, जब पानी लगभग स्थिर हो। जब कोई नदी किसी के या समुद्र में पहुँचती है, तो वह अपनी तलछट का अधिकांश भाग शीघ्रता से जमा कर देती है। यह नदी चैनल को चोक कर सकती है, जो तब वितरिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसके बीच वैम्प बनते हैं। नदी के बाहरी छोर पर पानी का प्रवाह सबसे मजबूत होता है, जिससे तट का

क्षरण होता है, लेकिन मोड़ के अंदर सबसे धीमा होता है, जिससे रेत और बजरी का जमाव होता है। एक जलोढ़ चैनल की ढीली सीमा (चल सामग्री से मिलकर) बहने की क्रिया के तहत विकृत हो जाती है, पानी और विकृत बिस्तर इसकी बदलती खुरदरापन



*A. S. Khan*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Bhawan, 9  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

(बिस्तर रूपों) के साथ प्रवाह के साथ बातचीत करता है। एक स्थिर और एकसमान प्रवाह विकसित होने पर सीमा की एक गतिशील संतुलन स्थिति की उम्मीद की जा सकती है। प्रवाह की दिशा में बिस्तर सामग्री (तलछट) की परिणामी गति को तलछट परिवहन कहा जाता है। भार के परिवहन के लिए नदी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जब नदी ऊर्जा खो देती है तो उसे अपना भार जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नदी की ऊर्जा खोने के कई कारण हो सकते हैं। यदि नदी का बहाव कम हो जाता है तो नदी ऊर्जा खो देगी, क्योंकि यह अब उतनी तेजी से नहीं बह रही है। यह वर्षा की कमी या वाष्पीकरण में वृद्धि के कारण हो सकता है। किसी नदी का बढ़ा हुआ मानव उपयोग (अमूर्त) भी इसके निर्वहन को कम कर सकता है और इसके भार को जमा कर सकता है। जब एक नदी समुद्र से मिलती है तो एक नदी अपना भार जमा कर देगी क्योंकि आमतौर पर ढाल समुद्र के स्तर पर कम हो जाती है और समुद्र बहुत सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा।

एक हिस्टोग्राम वक्र एक विशेष प्रकार का ग्राफ है, जो दर्शाता है कि नदी का वेग उसकी क्षमता को कैसे प्रभावित करता है और विभिन्न आकारों के कणों को नष्ट करने की उसकी क्षमता हिस्टोग्राम वक्र पर दो वक्र हैं, एक महत्वपूर्ण क्षरण वेग वक्र और एक औसत बसने वाला वेग वक्र। क्रान्तिक अपरदन वक्र किसी कण को ले जाने और नष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग दर्शाता है। मध्य जमाव का वेग न्यूनतम गति को दर्शाता है कि विभिन्न आकार के कण नदी द्वारा जमा किए जाएंगे। वक्रों के बीच छायांकित क्षेत्र अलग-अलग प्रक्रिया दिखाते हैं जो उन छायांकित क्षेत्रों में स्थित कणों के लिए होगी।

महीन कण (कम गिरावट वेग के साथ) द्रव अशांति से निलंबन में फंस जाते हैं और निलंबन में चैनल के साथ ले जाया जाता है। परिवहन के इस तरीके को 'निलंबित भार' कहा जाता है। कभी-कभी अपलैंड कैचमेंट (आकार जो बेड सामग्री में मौजूद नहीं होते हैं) से महीन कण, जिन्हें 'वॉश लोड' कहा जाता है, को भी सस्पेंशन में ले जाया जाता है। संयुक्त विस्तार सामग्री और वॉश लोड 'कुल भार' कहलाता है।

तराई नदियों में कुल भार के कुछ प्रतिशत से लेकर पर्वतीय नदियों में 15% तक और कुछ शुष्क जलग्रहण क्षेत्रों में 60% से अधिक बेड लोड होता है। हालांकि कुल तलछट भार का एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा, तलछट रेत और बजरी चैनलों का गठन करती है। तलछट परिवहन की दर आम तौर पर प्रवाह के एक शक्ति कार्य के रूप में बढ़ जाती है,

यानी प्रवाह का दोगुना होना आमतौर पर तलछट परिवहन तलछट में दोगुने से अधिक का उत्पादन करता है और अधिकांश परिवहन बाढ़ के दौरान होता है। इन-स्ट्रीम खनन से पर्यावरणीय प्रभावों से बचा जा सकता है, यदि वार्षिक बेड लोड की गणना की जाती है और कुल निष्कर्षण उस मूल्य या उसके कुछ हिस्से तक सीमित है। बेड लोड के कुछ हिस्से तक निष्कर्षण को सटीक रूप से सीमित करने के लिए, एक निश्चित अवधि के दौरान इन-स्ट्रीम खनन स्थल से गुजरने वाली तलछट की मात्रा की गणना की जानी चाहिए। बेड लोड परिवहन की वार्षिक दरों की गणना की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में अनिश्चितता है। कितना मोटा पदार्थ ले जाया जाता है, कितनी देर तक गति में रहता है और कितनी दूर तक चलता है यह सामग्री के आकार, आकार और पैकिंग और नदी के प्रवाह की विशेषताओं पर निर्भर करता है। डाउनस्ट्रीम आंदोलन आमतौर पर छोटी दूरी की गति के अनियमित फटने के रूप में होता है, जो लंबी अवधि से अलग होते हैं, जब कण आराम पर रहते हैं। चूंकि बेड लोड घंटे-दर-घंटे, दिन-प्रतिदिन और साल-दर-साल बदलता रहता है, इसलिए वार्षिक बेड लोड दरों का अनुमान लगाना एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें सावधानीपूर्वक जांच शामिल है। नदी के प्रवाह में लगातार बदलाव चैनल के फर्श और नदी के किनारों को एक गतिशील इंटरफेस बनाते हैं, जहां कुछ सामग्री का क्षरण हो रहा है जबकि अन्य जमा हो रहे हैं। अल्पावधि के आधार पर इस गतिविधि के शुद्ध संतुलन को स्काउर या फिल के रूप में संदर्भित किया जाता है। दीर्घकालिक आधार पर, निरंतर परिमार्जन के परिणाम क्षरण (गिरावट) में होते हैं, जबकि निरंतर भरण परिणाम जमाव में होते हैं। एक धारा की स्थिरता का एक सामान्य संकेतक मौजूद वनस्पति की मात्रा से संबंधित है। बजरी की छड़ें जो वनस्पतियुक्त होती हैं या जहां बजरी को कसकर पैक किया जाता है, आमतौर पर धाराओं को इंगित करता है, जहां बजरी की आपूर्ति संतुलन में है। अत्यधिक बजरी वाली धाराओं में आमतौर पर बजरी की छड़ें होती हैं, जिनमें बहुत कम या कोई वनस्पति नहीं होती है, और ढीले-ढाले बजरी के साथ सामने आती हैं।


  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Paryaveran Parisar  
 E-5, Aareya Colony, Bhopal (M.P.)

## 07- अशोकनगर जिले का साधारण प्रोफाइल (General Profile of Ashoknagar District)

### मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले की महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.	जिले की जानकारी	जिले का तथ्य
1	जिले का नाम	अशोकनगर
2	गठन	15 अगस्त, 2003
3	ब्लॉक	अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ और मुंगावली
4	तहसीलें	अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ, मुंगावली, नईसरॉय, पिपरई, बहादुरपुर और शाढौरा
5	पड़ोसी जिलों के साथ सीमा	गुना, शिवपुरी, सागर और विदिशा
6	संभागीय कार्यालय	ग्वालियर
7	जिले का क्षेत्रफल	4,674 वर्ग कि.मी.
8	गाँव	912
9	भाषा	हिन्दी
10	पुलिस स्टेशन	09
11	जनसंख्या (2011)	8,45,071
12	जनसंख्या घनत्व	181 वर्ग किमी.
13	साक्षरता दर (2011)	67.90 प्रतिशत
14	राज्यों के साथ सीमा	उत्तरप्रदेश (ललितपुर)
15	भौगोलिक स्थिति	24°00'00"N - 25°00'00"N व 77°30'00"E - 78°15'00"E अक्षांश-देशांतर
16	राज्य मार्ग	एस.एच.-19
17	मुख्य नदियाँ	बेतवा एवं सिंध
18	विधानसभा सीट	अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली
19	लोकसभा सीट	गुना (गुना, बमोरी, अशोकनगर, चंदेरी, मुंगावली, शिवपुरी, पिछोर तथा कोलारस निर्वाचन क्षेत्र)
20	समुद्र तल से औसत ऊँचाई	507 मीटर (1663 फीट)


08- जिले में भू-उपयोग आवरण का स्वरूप- वन, कृषि, उद्यान, खनन आदि (Land Use/Land Cover Pattern of the District- Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.)



**Land Use & Land Cover Classes of the District Ashoknagar**

LULC Breakup of the District	Area (Sq. km.)
DECID MOIST DRY	145.83
FOREST BLANK	13.76
WASTE BARREN STONY SHEET	1045.00
BUILT UP LAND	4.50
WATERBODY	116.30
AGRICULTURAL LAND	2745.00
SCRUB DEGRADED FOREST	681.00

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parivar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



**आरक्षित, संरक्षित तथा अवर्गीकृत वनों का परिक्षेत्रवार क्षेत्रफल (हे०)**

वैधानिक स्थिति	क्र.	परिक्षेत्र	वन स्रण्ड	कक्ष संख्या	नोटी. क्षेत्रफल	डिजी. क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
संरक्षित	1	मुंगावली	10	50	17572.31	17464.79
संरक्षित	2	चंदेरी	27	40	10365.36	10910.81
संरक्षित	3	अशोकनगर	8	20	5676.05	5667.66
संरक्षित योग			45	110	33613.72	34043.26
आरक्षित	4	मुंगावली	3	39	9347.99	9610.39
आरक्षित	5	चंदेरी	8	86	24536.58	24864.12
आरक्षित	6	अशोकनगर	4	72	21141.66	21399.73
आरक्षित योग			15	197	55026.23	55880.24
अवर्गीकृत	7	अशोकनगर	1	1	3.21	17.74
अवर्गीकृत	8	चंदेरी	7	7	354.98	367.98
अवर्गीकृत योग			8	8	358.19	385.72
महायोग			68	315	89193.73	90309.22




मध्यप्रदेश में मुख्य रूप से 05 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है-

1. काली मिट्टी
2. लाल-पीली मिट्टी
3. जलोढ मिट्टी
4. कछरी मिट्टी
5. मिश्रित मिट्टी

अशोकनगर जिले का भू-भाग, जलोढ मिट्टी एवं गहरे रंग की काली मिट्टी के आवरण वाला है, जिसे दोमट मिट्टी (Loamy Soil) भी कहा जाता है। यह मिट्टी उर्वरक एवं काफी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सिल्ट, चिकनी मिट्टी एवं बालू का मिश्रण होता है जिसमें 40 प्रतिशत सिल्ट, 20 प्रतिशत चिकनी मिट्टी तथा 40 प्रतिशत बालू की मात्रा की उपस्थिति होती है, यह उक्त संरचना मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। इस मिट्टी के कणों में बहुत अधिक जल धारण क्षमता होती है, जिस कारण यह पानी की पर्याप्त मात्रा को रोके रहती है और इसमें वायु संचार भली-भाँति होता है।






अशोकनगर जिले में लाल व काली मिट्टी पाई जाती है। अधिकांश क्षेत्र पर यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण, डेक्कन ट्रेप बैसाल्टिक लावा चट्टानों के क्षरण के कारण हुआ है। इस मिट्टी के रसायनिक संगठन में अन्य रसायनों के अलावा लोहे और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला हो जाता है। पानी पड़ने पर ये मिट्टी चिपकती है और सूखने पर इनमें बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी में वायु संचरण तथा जल निकासी की समस्या नहीं होती है।

अशोकनगर जिले के मुंगावाली ब्लॉक क्षेत्र एवं अशोकनगर ब्लॉक क्षेत्र के कुछ जगहों पर मोन्टमोरीलोनाइटिक युक्त काली मिट्टी पायी जाती है। इसी प्रकार के ओलिनाइट सोइल जिसे चीनी सफेद मिट्टी, चंदेरी ब्लॉक के अलावा ईसागढ़, मुंगावाली तथा अशोकनगर ब्लॉक क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है।

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EIA/CO)  
Barywanan Parisar  
E-5, Aara Colony, Bhopal (M.P.)




जिला अशोकनगर Seismic Activity Zone के Low Damage Risk Zone के अंतर्गत आता है।

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

पर्यावरण परिषद  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

09- जिले की भूगर्भीय स्थिति (Geological Status of the District)



Vindhyan Super Group के Rock Type, Upper Vindhyan Rock Types द्वारा दर्शित है, जिसके अंतर्गत Bhandar Group के शैल प्रकार सम्मिलित है। Neo Proterozoic काल (90-57 करोड वर्ष) के Bhandar Group में Lower Bhandar Sandstone साथ में अंदर अनियमित शैल प्रकारो का समावेश है। यह जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में एवं डेक्कन ट्रैप के मध्य पाये जाते है। Vindhyan Super Group के Rock Types प्रमुखतः

श्रेणीबद्ध शैल व बालू पत्थर के एकान्तरित क्रम में पाये जाते हैं। नव-प्रोटिरोजोइक काल (160-90 करोड़ वर्ष) के रीवा समूह के अंतर्गत पन्ना शैल साथ में सिल्ट स्टोन तथा सूक्ष्मकणीय बालू पत्थर, अवर रीवा बालू पत्थर साथ में क्ले बॉल्स व पेबल एवं प्रवर रीवा बालू पत्थर साथ में ग्लाकोनिटिक बालू पत्थर, सिल्ट स्टोन व शैल आते हैं, यह जिले के पूर्वी भाग में पाये जाते हैं। मीसो-प्रोटोजोइक काल (200-160 करोड़ वर्ष) कैमूर के समूह के अंतर्गत प्रवर कैमूर बालू पत्थर के साथ आधार में कांग्लोमैरेट व ग्रिट के स्तर जिले के पूर्वी भाग में पाये जाते हैं।

Cretaceous to Palaeogene काल (6.5-6 करोड़ वर्ष) के Deccan Trap के अंतर्गत मालवा समूह के Basaltic Lava Flows जिले के दक्षिणी, मध्य, कुछ उत्तरी भाग तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में व्याप्त है। Deccan Trap Lava Flows के Base में Intertrappeans पाये जाते हैं, जिनका Occurrence, Lacustrine or Fluvialite Origin का है। इनके अंतर्गत जीवाश्मयुक्त चर्ट व जीवाश्म-विहीन चर्टी चूना-पत्थर है जो कि जिले के उत्तर-पश्चिमी दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी भाग में पाये जाते हैं। मालवा समूह के लावा स्तरों को कालीसिन्ध, कांकरिया-पीरुखेडी संरचना स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। यह समूह 14 बैसाल्ट लावा-स्तरों से युक्त है जो 'आ', 'पाहोहो', व मेगाक्रिस्ट प्रकृति के हैं। कालीसिन्ध संरचना स्तर पाँच 'आ' प्रकार के बैसाल्ट लावा-स्तरों से युक्त है, जो नॉन-पॉरफिरिटिक से मध्यम पॉरफिरिटिक प्रकार के हैं। कांकरिया-पीरुखेडी संरचना स्तर चार 'आ' प्रकार बैसाल्ट लावा-स्तरों जो नॉन-पॉरफिरिटिक से कम पॉरफिरिटिक व एक मेगा-क्रिस्ट लावा-स्तर ऊपरी-मध्य भाग में तथा एक 'पाहोहो' लावास्तर आधार में पाया जाता है।


Cainozoic काल (7-0.1 से कम करोड़ वर्ष) के लेटेराइट बड़े बोल्टरो या शिला-खण्डो व निक्षेपो रूप में विन्ध्यन उन्न भू-भाग व डेक्कन पठारों पर आच्छादित है जो जिले के मध्य व पूर्वी भाग में व्याप्त है। लौहयुक्त लेटेराइट के निक्षेपो के स्तरों की मोटाई 1 से 5 मीटर है। यह जलोढक पेंबल स्तर, ग्रिट, सिल्ट व बालू से युक्त है। बॉक्साइट व न्यून श्रेणी के चूना पत्थर के प्राप्ति स्थलों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रमुख खनिज जिले में नहीं पाया जाता है। लेटेराइट से संबंधित बॉक्साइट के प्राप्ति स्थल ईसागढ के निकट पाये जाते हैं।

जिले में Archean to Quaternary काल के Rock Types विद्यमान हैं। Archean to Proterozoic काल (250-150 करोड़ वर्ष) के Bundelkhand Granite Complex के अंतर्गत

ग्रेनाइट, मिग्मेटाइट, ग्रेनाइट-नीस तथा इसमें फीलाइट, क्वार्ट्ज-मस्कोवाइट शिस्ट, एम्फीबोलाइट व पायरोक्सीनाइट के जीनोलिथ सहित प्रमुख शैल प्रकार आते हैं। यह Rock Type जिले के पूर्वी भाग में विद्यमान है।

**Geological Succession of District Ashoknagar**

<u>Lithology</u>	<u>Stratigraphic Status</u>	<u>Age</u>
<b>Laterite</b>		<b>Cainozoic</b>
<b>'Aa', Compound 'Pahoehoe' And Basaltic Lava Flows (Malwa Group -Deccan Trap)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Kankariya Formation</li> <li>{ Pirukheri Formation</li> <li>{ Ranod Formation</li> <li>{ Kali Sindh Formation</li> <li>{ Unclassified Basaltic Lava Flows/Intertrappean (Limestone and Chert)</li> </ul>	<b>Cretaceous to Palaeogene</b>
	{ Lower Bhandar Sandstone }	<b>Neo Proterozoic (Late)</b>
<b>Vindhyan Super Group</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Upper Rewa Sandstone</li> <li>{ Lower Rewa Sandstone</li> <li>{ Panna Shale</li> <li>{ Upper Kaimur sandstone</li> </ul>	<b>Neo Proterozoic (Early)</b>
		<b>Meso Proterozoic</b>
<b>Bundhelkhand Complex</b>	{ Granite/Gneiss	<b>Archean to Proterozoic</b>

  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Parvavaran Parisar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)


## 10- जिले में वर्षावृत्ति एवं जलवायु स्थिति (Rainfall & Climate Condition in the District)

जिला अशोकनगर में माहवार वर्षा के वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के आंकड़े कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला अशोकनगर से प्राप्तानुसार निम्नानुसार है :-


क्र.	वर्ष	माह												योग
		जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	
1	2019-20	38.50	345.75	565.00	418.50	58.75	4.25	0.50	17.50	4.00	3.75	0.00	29.25	1485.75
2	2020-21	180.75	216.50	483.75	55.00	0.50	4.75	1.25	4.00	0.00	4.75	6.75	67.50	1025.50
3	2021-22	131	275.75	537.50	240.75	44.25	0.00	6.75	56.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1294.50

जिला अशोकनगर में मानसून का मौसम जुलाई से प्रारंभ होता है, इस दौरान यहाँ नियमित वर्षा होती है। जिला अशोकनगर सर्दी में अत्याधिक ठंडा रहता है। सर्दी का मौसम नवम्बर से फरवरी तक रहता है। दिसम्बर और जनवरी में यहाँ रात का तापमान कभी-कभी 5 से 6 डिग्री सेन्टीग्रेड तक चला जाता है, जबकि उच्चतम तापमान दिन में 18-20 डिग्री सेन्टीग्रेड के आस-पास रहता है। दिसम्बर-जनवरी माह में जिले में कड़ाके की ठण्ड पड़ती है जिसके साथ-साथ कोहरा भी पड़ता है। उसी समय उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवायें जिले को असामान्य रूप से ठण्डा करती हैं।

## 11- जिला अशोकनगर का संसाधन मानचित्र (District Resource Map of Ashoknagar)



State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryaveeran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



**Lithology**

77	Alkaline (Sand. Sil)
8	Lignite
11	Al' basaltic lava flow (1 flow)
11/11A	'Al' a compound 'Palaohol' and basaltic lava flow, (to flow) predominantly Al' basaltic lava flows with a lot of meso-porphritic and micro-porphritic (Al' flow)
11/11B	Al' basaltic lava flow (2 flow) predominantly Al' basaltic lava flows
11/11C	Al' basaltic lava flow (3 flow)
11/11D	Ultrabasic (basaltic lava flow) in stragglers (mostly Al' lava)
12	Siliceous limestone and fossiliferous sandstone
13	Lower fibrous sandstone
14	Sandy shale
15	Blocky sandstone
16	Garraupit shale
17	Upper Rewa sandstone
18	Lower Rewa sandstone
19	Prestia shale
20	Upper Khami sandstone
21	Gneiss, quartzite, granite gneiss with microcline

**EXPLANATION**

Stratigraphic status	Age	Nature and Characteristics
	Quaternary	Yellow, grey, brownish calcareous sand and silt
	Recent	Dark reddish brown, chocolate brown, yellowish brown calcareous, porous, cavernous, spongy or cellular
	Indore (1)	Dark grey, fine to medium grained, sparsely to moderately porphyritic to sparsely porphyritic, hard with porous calcareous matrix
	Kankar (1) / Pradhan (1) / Khand (1)	14- Dark grey, fine to medium grained, microporphyratic to coarse porphyritic, hard with a regular flow at the upper-middle part and 'Palaohol' flow at the bottom 15- Coarsely grey, fine to medium grained, porphyritic with a meso-porphyratic and at the top and micro-porphritic at the lower part of the horizontal contact
	Maha Group / Uxas / Patochore / (2-4)	12- Dark grey, fine to medium grained, non-porphyratic to moderately porphyritic, hard, compact rock 13- Light grey to black, dark steel grey, dark black, fine to medium grained, non-porphyratic to sparsely porphyritic, hard, compact, massive rock
	Mandla (1)	Dark grey, fine to very fine grained non-porphyratic, hard, compact, sparsely vesiculate rock
	Lameta Group / Cretaceous	11- Light grey, steel grey, greenish black, brownish black, dark steel grey, very fine grained to medium grained, non-porphyratic, hard, compact massive rock 11a- White to dirty white to dirty white, light grey to dark grey, fossiliferous chert and thin shales or cherty limestone
	Sharda Group / No / Proterozoic / (Late)	Dirty white, green, buff, fine to medium grained, moderately hard limestone Yellowish brown, fine grained, hard, highly fossiliferous sandstone Pale pink, grey, red, brown, greyish white fine to medium grained, fossiliferous, massive, compact, shaly bedded with impure massive laminar shale parting
	Y / N / H / Y / S / U / P / E / R / O / U / P	Light green, purple, grey, sandy micaceous and brick rock Weathered brown, pink, brown, fine grained, shaly bedded hard with impurity of silica and clay, occasionally in places and sandy towards top Shaly, micaceous brown, shaly laminated, highly micaceous, well bedded, congealed in places with bands of glauconitic sandstone, siliceous and shale Brown, pinkish white, dirty white, fine to medium grained, shaly bedded to shaggy with bands of glauconitic sandstone, siliceous and shale
	Zona Group / No / Proterozoic / (Early)	Light pink, white, brownish, fine to medium grained, thin to thick bedded, shaly or cross-bedded with clay beds and pyrites
	Khami Group / No / Proterozoic	Black, green, yellow, brown, siliceous, soft and very porous micaceous with bands of siliceous and fine grained sandstone
	Dandikhal Complex / Archaic / Proterozoic	Light grey, pinkish brown, dirty white, fine to coarse grained, hard, well sorted, cross bedded with an occasional beds of conglomeratic and grit at basal part Pink, reddish brown, grey, greyish white, medium to coarse grained, massive, blocky, laminated with laminae of phyllite, quartz conglomerate, quartzite and white, argillaceous and pyritic

*Asectar*

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)  
Parvavaran Pariser  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

**12- रिपोर्ट में अतिरिक्त अंतर्विष्ट बिन्दु (In Addition to the Above, the Report Shall Contain the Following)**

**(क) जिलावार नदी या धारा और अन्य रेत के स्रोत के ब्यौरे (District Wise Detail of River or Stream & Other Sand Source)**

जिले में 04 मुख्य नदियां है जिसमें खनिज रेत की 06 खदानें है, जिनमें नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। रेत जिले की सभी नदियों में मिलती है किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से सिर्फ बेंतवा और सिंध इनके अलावा इनकी सहायक नदियाँ ओर तथा केथन नदी में ही है। स्वीकृत खदानों का ब्यौरा बिंदु क्रमांक 03 में सम्मिलित है।

**(ख) जिलावार रेत या कंकड या समग्र संसाधनों की उपलब्धता (District Wise Availabilty of Sand or Gravel or Aggregate Resources)**

जिले के समस्त क्षेत्रों में जहां पर बालू/पत्थर उपलब्ध है के लिए खदानें स्वीकृति की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है, जिनका ब्यौरा बिंदु क्रमांक 03 में दर्ज है।

**(ग) जिलावार विद्यमान रेत के खनन पट्टे के ब्यौरे ओर समग्र (District Wise Detail of Existing Mining Leases of Sand and Aggregates)**

जिले में स्वीकृत रेत खदानों का ब्यौरा बिंदु क्रमांक 03 में सम्मिलित है। जिले में कुल 06 रेत खदानें स्वीकृति की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।

**13- जिले में मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली- एनेक्जर I (Drainage System with Description of Main Rivers in the District- Annexure I)**

**Annexure-I**

क्र.सं	नदी का नाम	निष्कासन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	जिले में निष्कासित क्षेत्र
(1)	बेंतवा	44,002	7.73%
(2)	सिंध	27,856	4.87 %

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(ESEA)

Parvatsaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



14- जिले में महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएँ- एनेक्जर II व एनेक्जर III (Salient Features of Important Rivers and Streams- Annexure II & Annexure III)

Annexure-II

क्र.स.	नदी या धारा का नाम	जिले में कुल लंबाई (वर्ग किलोमीटर)	उदगम का स्थान	उदगम के स्थान पर ऊँचाई (m amsl)
1.	Betwa	91.2	Near Village Burra khedi, Block Astha, Schore	497
2.	SINDH	79.2	Lateri, Dist. Vidisha	534.1
3.	Aur	110.2	Originating near Amkhera Sukha village in Ashok Nagar Block of Ashok Nagar district	498.2
4.	Kethan	38.2	Originating near Village Kajikhedi, Block Sironj, Vidisha	519
5.	Chhoch	35.6	Village raikheda Block Ashok Nagar District Ashok nagar	514

**Annexure-III****Detail of Minerable Mineral Potential**

SR N O.	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral Concession (In KM.)	Average width of area recommended for mineral concession (in Meter)	Sanctioned Area (In Hac.)	Area recommended for mineral Concession (In sq.m. (Area x Depth))	Total Sand Potential (In Metric tonne) (@cu.m.x1.4=m.t.)	Minerable mineral potential (60% of total mineral potential) (in metric tonne)	Annual sand production 2019-20 (In cu. m.)	Annual sand production 2021 (In cu.m.)	Annual sand production 2021 (In cu.m.)
	River	village	khassra no.									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिंध	खैरोना	1	0.654	46	3.000	30084x.5	21059.00	12636.00	Nil	Nil	Nil
2	छोछ	देपालखेडी	359, 360, 363	0.731	42	3.063	30702x.5	21492.00	12895.00	Nil	Nil	Nil
3	सिंध	शाजापुर	1/1	0.640	63	4.000	40320x.5	28224.00	16935.00	Nil	Nil	Nil
4	बेतवा	मदऊखेडी	180/ 167, 622/ 614	0.925	36.5	3.369	33763x.5	23634.00	14181.00	Nil	Nil	Nil
5	केथन	कुम्हरा	194	0.778	71	5.500	55238x.5	38667.00	23200.00	Nil	Nil	Nil
6	केथन	गोरा बहादुरपुर	178	1.220	25	3.000	30500x.5	21350.00	12810.00	Nil	Nil	Nil
<b>Total</b>								<b>154426.00</b>	<b>92657.00</b>			


**15- खनिज क्षमता- एनेक्जर IV (Mineral Potential- Annexure IV)****Annexure-IV**

बोल्डर (मीट्रिक टन में)	रेत (काली बजरी) (मीट्रिक टन में)	कुल खनन योग्य खनिज क्षमता (मीट्रिक टन में)
-	92657	92657

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(SEIAA)

Paryavaran Parishad  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

16- जिले में स्थित नदी व जलधारा तथा रेत स्रोत की जानकारी  
(Information About River & Stream & Sand Source Location  
in the District)




**यमुना बेसिन-** यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री (उत्तरकाशी से 30 किमी उत्तर, गढ़वाल में) नामक जगह से निकलती है और प्रयाग (प्रयागराज) में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सिन्ध और बेतवा भी हैं।

Sr No.	Properties	Betwa River Basin	Sindh River Basin
1	Catchment Area up to Exit spot of Particular District	15710 Sqkm	3073 sqkm
2	Catchment Area of Particular District	4718 Sqkm	1312 Sqkm
3	Length of the Catchment Area	292 km	118 km
4	Length of the Catchment Area of Particular District	138 km	82 km
5	Altitude at Origin of the River	497 m	527 m
6	Altitude at Entrance of the Particular District	390 m	480 m
7	Altitude at Exit of the Particular District	337 m	445 m

State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (PRCO)

Parvatan Pariser  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



जिला अशोकनगर में गौण खनिजों में खनिज रेत की 06 खदानें हैं, जिनमें नीलामी की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है।

*Ashok*  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Paryavaran Park  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

17- जिले में गौण खनिज रेत की वर्ष 2023 के पश्चात नीलाम की जाने वाली प्रस्तावित रेत खदानों का ब्यौरा (Details of Minor Mineral Sand Mines Proposed to be Auctioned After Year 2023 )

Deatail of Mineable Mineral Potential

S R N O	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral Concession (In KM.)	Avtage width of area recommended for mineral concess ion(in Meter)	Senctio ned Area(In Hac.	Area recommand ed for mineral Concession (In sq.m.)(Area x Depth)	Total Sand Potential (In Metric tonne) (@cu.m.x1.4=m.t.)	Mineable mineral potential (60% of total mineral potential) (in metric tonne) <sup>y</sup>	Annu al sand produ ction 2019 -20 (In cu.m.	Annu al sand produ ction 2020- 21 (In cu.m.	Annual sand product ion 2021- 22 (In cu.m.
	River	village	khasra no.									
1	ओर	कुंदौली	219	0.548	73	4.000	40000x.5	28000	16800	Nil	Nil	Nil
2	ओर	कजराई	168	0.320	57.5	1.839	18400x.5	12880	7728	Nil	Nil	Nil
3	बेतवा	सोनेरा	54	0.675	73	4.953	49275x.5	34493	20696	Nil	Nil	Nil
4	सिंघ	घारोदा	1	0.445	45	2.000	20025x.5	14017	8410	Nil	Nil	Nil
5	सिंघ	घारोदा	1	0.445	45	2.000	20025x.5	14017	8410	Nil	Nil	Nil
6	सिंघ	घारोदा	1	0.445	45	2.000	20025x.5	14017	8410	Nil	Nil	Nil
7	सिंघ	खेजरा अटारी	233	0.727	54	3.929	39258x.5	27481	16489	Nil	Nil	Nil
8	केथन	हाजूखेड़ी	38	0.728	55	4.000	40040x.5	28028	16817	Nil	Nil	Nil
9	केथन	सुमेर	143	0.785	53	4.000	40000x.5	28000	16800	Nil	Nil	Nil
10	ओर	धूयोन	447	0.888	45	3.000	30080x.5	21042	12625	Nil	Nil	Nil
11	ओर	कुकरेठा	358	0.480	73	3.500	35040x.5	24528	14717	Nil	Nil	Nil
Total								246503	147902			

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO)

Parvveran Pariser


Arera Colony, Bhopal (M.P.)

# 17- जिले में गौण खनिज रेत की वर्ष 2023 के पश्चात नीलाम की जाने वाली प्रस्तावित रेत खदानों का ब्यौरा (Details of Minor Mineral Sand Mines Proposed to be Auctioned After Year 2023 )

## Deatail of Mineable Mineral Potential

S R N O	Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession			Length of area recommended for mineral Concession (In KM.)	Avrage width of area recommended for mineral concess ion(in Meter)	Senctio ned Area(In Hac.	Area recommend ed for mineral Concession (In sq.m.)(Area x Depth)	Total Sand Potentio l (In Metric tonne) (@cu.m.x1.4=m.t.)	Mineable mineral potential (60% of total mineral potential) (in metric tonne)	Annua l sand produ ction 2019 -20 (In cu.m.	Annua l sand produ ction 2020-21 (In cu.m.	Annual sand product ion 2021-22 (In cu.m.
	River	village	khasra no.									
1	ओर	कुंदौली	219	548	73	4.000	40000x.5	28000	16800	Nil	Nil	Nil
2	ओर	कजरई	168	320	57.5	1.839	18400x.5	12880	7728	Nil	Nil	Nil
3	बेतवा	सोनेरा	54	675	73	4.953	49275x.5	34493	20696	Nil	Nil	Nil
4	सिंध	चारोदा	1	445	45	2.000	20025x.5	14017	8410	Nil	Nil	Nil
5	सिंध	चारोदा	1	445	45	2.000	20025x.5	14017	8410	Nil	Nil	Nil
6	सिंध	चारोदा	1	445	45	2.000	20025x.5	14017	8410	Nil	Nil	Nil
7	सिंध	खेजरा अटारी	233	727	54	3.929	39258x.5	27481	16489	Nil	Nil	Nil
8	केथन	हाजूखेड़ी	36	728	55	4.000	40040x.5	28028	16817	Nil	Nil	Nil
9	केथन	सुमेर	143	755	53	4.000	40000x.5	28000	16800	Nil	Nil	Nil
10	ओर	थूवोन	447	668	45	3.000	30060x.5	21042	12625	Nil	Nil	Nil
11	ओर	कुकरेठा	358	480	73	3.500	35040x.5	24528	14717	Nil	Nil	Nil
<b>Total</b>								<b>246503</b>	<b>147902</b>			

18- अशोकनगर जिले की भू-आकृतिक संरचनाएँ, स्थलाकृतिक शीर्ष एवं ढलान का स्वरूप (Geomorphological Structures, Physiographical Altitude and Slope Pattern of the Ashoknagar District)




भू-आकृतिक रूप से जिले का अधिकांश भू-भाग ज्वालामुखी उत्पत्ति के Low Level Plateaus, व Plains तथा नदियों द्वारा विकसित Terrace/Rocky Benches, Flood Plains को दर्शाता है। अन्य भू-आकृतिक इकाइयों के रूप में प्रोटिरोजोइक शैल-प्रकारों से विकसित संरचनात्मक पठार व मैदान तथा प्रोटिरोजोइक काल के Sedimentary Rocks से विकसित संरचनात्मक सोपान व Pediments-Pediplains विद्यमान है।

जिले का भू-भाग वृहद गंगा द्रोणी के अंतर्गत सिन्ध व बेतवा उप-द्रोणीयों का भाग है। बेतवा, सिन्ध तथा इनकी सहायक नदियाँ जिले के पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी भाग में बहती हैं।


State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)

Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




जिले में अधिकतम व न्यूनतम ऊँचाई के स्थान समुद्र तल से 548.80 मी. व 332.30 मी. है।





Topography का Digital Representation ही Digital Elevation Model (DEM) कहलाता है। जिला अशोकनगर का Lowest Elevation 332.30 Meter तथा Highest Elevation 548.80 Meter है।

*Ashok*  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Daryaveeran Pariser  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)




Slope, Landscape Features के मौलिक रूप को दर्शाता है, जो कि इन Features की Hydrological Engineering व Environmental Aspects के लिए महत्वपूर्ण है। जिला अशोकनगर का Slope Classification निम्नानुसार है-

**Classification of Slope Percentage**


Slope (%)	Slope Classification
0-4	Flat or Almost Flat
4-12	Gently Sloping
12-20	Sloping
20-30	Moderately Steep
More than 30	Very Steep

*(Signature)*  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Parvatan Paragar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

19- जिले में सतही जल संरचना एवं भूमिगत जल का परिदृश्य (Surface Water & Ground Water Scenario in the District)




जिला अशोकनगर में मुख्य रूप से दो नदियाँ - बेंतवा और सिंध प्रवाहित होती है, इनके अलावा इनकी सहायक नदियाँ छोछ, ओर, मालकुआ तथा केथन नदियाँ प्रवाहित होकर जिले में भौगोलिक रूप से Dendric Pattern का निर्माण करती है।



जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो पानी के उपयोगों में शामिल है कृषि औद्योगिक घरेलु और पर्यावरणीय गतिविधियाँ। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर में ताजे जल की आवश्यकता होती है। जल संसाधन के प्रकार : 1. सतही जल संसाधन 2. भूमिगत जल संसाधन। जिला गुना जलसंसाधन के मामले में अच्छी स्थिति में है यहाँ मुख्य रूप से दो नदीयों प्रवाहित होती हैं - बेंतवा एवं सिंध तथा इनकी सहायक नदियों के रूप में छोछ, ओर, मालकुआ तथा केथन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके आलावा जल स्रोतों के रूप में मानव निर्मित तालाब एवं बांध मौजूद हैं।


*Aashu*  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Paryavaran Parivar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)



State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCQ)  
 Paryavaran Parishad  
 E.S. Arara Colony, Bhopal (M.P.)

**Lithology of Groundwater Potential Zone of District Ashoknagar**

Ground Water Potential Zone	Block/Place
Moderate to High	Chanderi
Moderate	Ashoknagar, Ishagarh & Mungaoli
Low	Some Part of Ashoknagar, Mungaolio & Chanderi



जिला अशोकनगर को चार Watershed में बांटा गया है जिसका Interpretation निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Watershed	Area (Sq. Km.)
1	Betwa River	1681 Sqkm
2	Sindh River	693 Sqkm
3	Aur River	1793 Sqkm
4	Chhochh River	580 Sqkm

State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parvatan Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

**20- पर्यावरण पर खनन गतिविधियों का प्रभाव- वायु, जल, शोर, मिट्टी, वनस्पति, जीव, भूमि उपयोग, कृषि, वन आदि) (Impact of Mining Activities on the Environment- Air, Water, Noise, Soil, Vegetation, Species, Landuse Pattern, Agriculture, Forest etc.)**

खनन के पर्यावरणीय प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनन प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं। खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाले रसायनों के प्रभाव से जैव विविधता का नुकसान या मिट्टी, भूजल और सतही जल का दूषित होना होता है।

1. **वायु-** खनन गतिविधियों जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपर की मिट्टी को हटाना और मुरम की सामग्री के निष्कर्षण से हवा में बड़ी मात्रा में धूल निकल सकती है। इसी तरह बड़े वाहनों में बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के खनिजों की आवाजाही वायु प्रदूषण और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकती है।
2. **पानी** - खनन का आसपास की सतह और भूजल पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
3. **शोर** - खनन गतिविधियाँ जैसे पत्थर को कुचलना और नष्ट करना, ऊपरी मिट्टी को हटाना और भारी मशीनरी और क्रशिंग प्लांट के माध्यम से मुरम की सामग्री का निष्कर्षण आसपास के क्षेत्रों में भारी शोर पैदा करता है।
4. **मिट्टी** - फ्लैगस्टोन और बोल्टर खानों के मामले में खनन गतिविधियों के कारण चट्टानों की आवाजाही और अधिक बोझ की आवाजाही। मिट्टी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह मिट्टी के क्षरण और भूमि के क्षरण का कारण बनता है।
5. **वनस्पति और जीव** - खनन गतिविधियाँ स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कभी-कभी खनिज निकालने से पहले बड़ी संख्या में पौधे और पेड़ काट दिए जाते हैं। इसी प्रकार नदियों में भारी बालू खनन से जलीय जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है।
6. **भूमि उपयोग, कृषि और वन** - एक खनन गतिविधि भूमि उपयोग पैटर्न क्षेत्र उदाहरण के लिए पहाड़ और पहाड़ियों से खनिजों का निष्कर्षण पहाड़ों की सुंदरता को कम कर सकती है, कृषि भूमि निकटवर्ती क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण बंजर भूमि में बदल

जाती है। वन क्षेत्रों में खनन गतिविधि के कारण जंगल का बड़ा क्षेत्र कट जाता है जिससे क्षेत्र में वनों की कटाई होती है।

## 21- पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures to Minimize Mining Impact on Environment)

जिला गुना न्यूनतम पर्यावरण संघात वाला जिला है, उक्त संघात के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पट्टाधारियों व उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारियों एवं आम नागरिकों में पर्यावरण सचेतना एवं जागरूकता लाये जाने से संबंधित उपाय किये जाकर पर्यावरण संघात को नगण्य किया जा सकता है।

### इस के अतिरिक्त अन्य उपाय-

- खनन गतिविधिया मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में बनाये गये इन नियम अधिनियम के अंतर्गत किया जाना चाहिए जो कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, म.प्र. रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार) नियम 2019, सस्टेनेबल रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशा निर्देश 2020, के मुद्दे यह सुनिश्चित करते हैं कि खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति बनाए रखे।
- पर्यावरण पर खनन गतिविधि के प्रभाव को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1974 और वायु जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम- 1981 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई शर्तों और शर्तों का पालन करके किसी भी पट्टेदार द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित विशिष्ट और मानक स्थिति का पालन कर के।
- खनन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि खनन गतिविधि का लैकल पर्यावरण पर प्रभाव कम हो सके।
- उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण जहां क्रशिंग इकाइयां स्थापित हैं, पट्टा क्षेत्र और पहुंच सड़कों पर पानी के लगातार छिड़काव से कम किया जा सकता है। स्टोन क्रशिंग यूनिट में वाटर स्पिंकलर, विंड ब्रेकिंग वॉल, जीआई शीट-शेड लगाए जाने चाहिए।



- खदान क्षेत्रों में और उसके आसपास सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न कचरे को उचित रूप से डंप किया जाना चाहिए और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।
- वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को श्वसन यंत्र, एन-95 मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए खान श्रमिकों को इयर प्लग प्रदान किया जाना चाहिए।
- इस बात की बार-बार निगरानी की जानी चाहिए कि नदी के तल में रेत के खनन से नदी के पानी के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बदलाव नहीं आता है। यह जल संसाधन को बनाए रखने में मदद करता है।
- सभी मशीनरी सिस्टम उपकरण स्थापित एक अच्छी काम करने की स्थिति में होना चाहिए और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।
- खदान पट्टा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण में सुधार करने के लिए 10 मीटर की हरित पट्टी विकसित की जानी चाहिए।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुदान और अनुमतियों की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

## 22- खनन क्षेत्रों का पुनः सुधार (Reclamation of Mining Areas)

यदि उचित उपाय नहीं किए जाते हैं, तो खनन कार्यों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनन संचालन के परिणाम स्वरूप मूल भूमि प्रोफाइल स्पष्ट रूप से बदल जाएगी और खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का परिमाण और महत्व उपलब्ध खनिजों के प्रकार, खनन और प्रसंस्करण की विधि आदि पर निर्भर करता है।

खनन के बाद खनन की गई, भूमि का पुनर्द्वार और पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। पुनर्ग्रहण और भूमि के लिए खनन गतिविधि, खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए ताकि खनन सुधार किया जा सके।

*A. S. Chandra*  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Parvathipuram, Raipur  
 E.S. Arora, District, Raipur, M.P.

अधिकांश खदानों में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, खदानों का पुनर्ग्रहण अपशिष्ट चट्टान या ओवर बर्डन को खदान में वापस भरकर किया जा सकता है, हालांकि खदान सुधार योजना में निम्नलिखित चरण होने चाहिए-

1. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन का भंडारण और संरक्षण।
2. खनन के दौरान और उसके अंत में, खनन से प्रभावित भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव।
3. डम्पो का स्थिरीकरण।
4. खनिज पदार्थ के ढेर के लिए डंपिंग ग्राउंड तैयार करना।

### **23- जिले में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों का विकास (Plantation & Development of Green Belts in the Approved Quarry Lease Areas in the District)**

जिला गुना में संचालित अनुदत्त पट्टों में पौधारोपण समग्र रूप से सुनिश्चित किया गया है। हरित पट्टी विकास किये जाने सम्बन्ध में उपागम प्राथमिकता स्तर पर प्रक्रियारत हैं, जिसके अग्रेत्तर वर्षा अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

वृक्ष, वायु प्रदूषकों का पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, और इन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करके हम जैव-सौंदर्य शास्त्र के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका शमन भी कर सकते हैं। प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषित कणों को रोकने वाले पेड़, और प्रदूषण को सहन करने वाले पेड़ और उनके प्रकारों पर उचित योजना और वृक्षारोपण निर्भर करता है।

पेड़ पौधे सदैव हरे भरे, पड़े पत्ते वाले, साथ ही खुरदुरे तने वाले और पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक तंत्र के साथ सक्षम होना चाहिए। ऐसे पेड़ लगाये जाना चाहिए जो कि कम पानी का उपयोग करते हो, कम देखभाल वाले, प्रदूषण को शोषित करने में सक्षम, प्रदूषण रोकने वाले, पर्यावरण के अनुकूल, तेजी से बढ़ने वाले, और तेज हवा में न टूटने वाले होने चाहिए। पेड़ों की प्रजातिया मिट्टी, स्थालाकृति, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए। कम से कम दो पंक्तियों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण के स्तर हो ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके।


**वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास के लिये वृक्षो व प्रजातियों की जानकारी-**

S. No.	Botanical Name	Family	Common Name
1.	Tamarindus indica (Linn)	Caesalpinaceae	Imli
2.	Anogeissus pendula	Combrataceae	Kardhai
3.	siras Albizia lebbek	Leguminosae (Mimoseae)	Kala
4.	Azadirachta indica	Meliaceae	Neem
5.	Butea monosperma	Leguminosea (papilionaceae)	Palas
6.	Ficus infectoria	Moraceae	Pakar
7.	Stereospermum suaveolens	Bignoniaceae	Padar
8.	Salmalia malabarica, Bombaxcieba	Malvaceae	Semal
9.	Madhuca indica	Sapotaceae	Mahua
10.	Delbergia latifolia, Roxb	Leguminosae (Papilionaceae)	Shisham
11.	Lanea coromandalica	Anacardiaceae	Kankar
12.	Diospyros melanoxeon	Ebenaceae	Tendu
13.	Anogeissus latifolia	Combretaceae	Dhavda
14.	Zizyphus jujube	Rhamnaceae	Ber
15.	Cassia fistula	Leguminosae (Caesalpinaceae)	Amaltash
16.	Syzygium cuimini	Myrataceae	Jamun
17.	Acacia karoo	Fabaceae	Keekar
18.	Buchanania lanzan (spreg)	Anacardiaceae	Achar
19.	Mangifera indica (Linn)	Anacardiaceae	Aam
20.	Emblica officinalis	Euphorbiaceae	Awla

प्रस्तावित परियोजना, बैरियर जोन के बिना मायनिंग वाले क्षेत्रों में, एपरोच रोड़, नदी किनारों के आसपास वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

**24- जिले में व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों का विवरण (Details of Occupational Health Issues in the District)**

ओपन कास्ट विधि मे धूल मुख्य प्रदूषक है। खनिज साइट पर, उत्खनन और लोडिंग गतिविधि के दौरान, उत्पन्न धूल श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ओपन कास्ट माइनिंग के कारण उत्पन्न व्यावसायिक खतरे मुख्य रूप से भौतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं।

  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (SEPCO)

**संभावित शारीरिक खतरे, इस प्रकार हैं -**

खनन कार्यों के कारण होने वाले शारीरिक जोखिम में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान की गई -

**प्रकाश** - श्रमिकों को खराब रोशनी या अत्यधिक चमक के जोखिम से अवगत कराया जा सकता है।

**प्रभाव** - आंखों में खिंचाव, सिरदर्द, आंखों में दर्द और लैक्रिमेशन, कार्निआ के आसपास जमाव और आंखों की थकान। वर्तमान समय में, खनन गतिविधि केवल दिन के समय की जाती है।

**गर्मी और आर्द्रता** - सबसे आम शारीरिक खतरा गर्मी है। गर्मी का सीधा असर शरीर पर पड़ता है, शरीर में जलन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हीट क्रैम्प्स शामिल हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं- दक्षता में कमी, थकान में वृद्धि और दुर्घटना दर में वृद्धि। गर्मी में, तापमान और हवा के तापमान में वृद्धि होने पर गर्म और आर्द्र स्थिति का सामना करना पड़ता है। नदी तल खनन क्षेत्र में गर्मी में तापमान 46 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे अधिक तक हो सकता है।

**आंखों में जलन** - गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण उड़ने वाली धूल-मिट्टी से आंखों में खुजली और आंखों में पानी आने की समस्या हो सकती है।

**श्वसन संबंधी समस्याएं** - हवा में बड़ी मात्रा में धूल स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है। जिस से श्वसन संबंधी विकार जैसे- अस्थमा व फेफड़ों और ब्रॉन्कियल मार्ग में जलन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

**शोर प्रेरित बहरेपन** - खदान में ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत मशीनरी है, जिस से बहरेपन जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं।

*A. K. Sharma*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryawasth Partner  
E-3, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

## 25- जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन (Risk Assessment & Disaster Managment)

**खनन कार्यों में संभावित जोखिमों का उल्लेख नीचे किया गया है :-**

जोखिम पहचान और जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, भंडारण और संचालन, मानवीय त्रुटियों, बिजली की विफलता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना के संचालन से जुड़े विभिन्न प्रकार के खतरों के बारे में चर्चा करती है। यह पहचाने गए संभावित खतरे के लिए विभिन्न दुर्घटना परिदृश्यों की गणना की आवृत्तियों को भी प्रस्तुत करता है। इनमें विनाशकारी घटनाएं या पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव और तकनीकी कारणों से उत्पन्न खतरे शामिल हैं। सामग्री के परिवहन के दौरान, ईंधन/हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के प्रज्वलन से बड़े वाहनों में आग लग जाती है।

### **संरचनात्मक विफलता :-**

खदान में डंप, बेंच/पिट ढलानों की अस्थिरता, जो चोट और मृत्यु का कारण बन सकती है।

### **जोखिम के लिए परिकल्पित परिदृश्य :-**

**कार्य का ज्ञान** - जोखिम मूल्यांकन कार्य के सभी पहलुओं की पूरी समझ पर निर्भर करता है। किसी विशेष कार्य के संबंध में जोखिम मूल्यांकन करने में, मूल्यांकन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण की समीक्षा शामिल होनी चाहिए।

**व्यक्तिगत क्षमता** - किसी भी जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कार्य में शामिल कर्मियों का ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण समीक्षा शामिल होना चाहिए। एक जानकार, अनुभवी अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति दुर्घटनाओं के कम जोखिम पर होगा।

**समन्वय** - यह आवश्यक है कि समन्वयक, यह सुनिश्चित करे कि कार्य में लगे सभी लोग सक्षम हों और दूसरों की भूमिका और एक-दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझें।

*A. S. Chauhan*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Parvatan Pathar  
10.5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

**खतरों की पहचान :-**

**तकनीकी खतरे** - इस दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी खतरों की व्याख्या हानिकारक धूल, गैसों और शोर के रूप में की जानी चाहिए, जो सतही खनन कार्यों के दौरान उत्सर्जित होती है। खनन कार्यों में शामिल अन्य खतरनाक कार्य जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित हैं।

**शोर** - खदान के वातावरण में शोर को एक सामान्य व्यावसायिक खतरा माना जाता है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से श्रवण तंत्रिकाओं और इसके संवेदी घटकों (शोर प्रेरित बहरापन) को स्थायी नुकसान हो सकता है। शोर प्रेरित श्रवण हानि (एनआईएचएल) से बचने के लिए, इन मशीनों के केबिनो को ध्वनिरोधी बनाया जाए। साथ ही, उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले आपरेटर्स और अन्य श्रमिकों को उनकी सुरक्षा के लिए इयर प्लग/इयर मफ प्रदान किए जाए। किसी भी कर्मचारी को उचित सुरक्षा उपकरण पहने बिना, उच्च शोर उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए।

**सतह की आग** - रेड ऑकर डिपॉजिट में कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं। हालांकि कोयला खदानों में लगे डंपरों में आग लग सकती है। अग्निरोधक पात्र को छोड़कर किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जाए। चार माह से अधिक समय तक रखे कोयले में स्वतः ज्वलन क्रिया होने लगती है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ पर या उसके पास कोई प्रकाश या दीपक नहीं रखेगा और न ही उसे फेंकने देगा। एमएमआर 1961 के विनियम 121 के अनुसार खदान के हर प्रवेश द्वार पर या हर जगह जहां ज्वलनशील सामग्री जमा है, रेत या ज्वलनशील धूल या पर्याप्त पोर्टेबल अग्निशामक की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जाए।

**लोडिंग** - खनिज का समस्त लदान, लोडर/उत्खनन के द्वारा किया जायेगा। हालांकि, श्रमिकों को लोडिंग कार्यों से दूर रखने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्तियों पर सामग्री गिरने से बचा जा सके। इसके अलावा, लोडिंग मशीन आपरेटर को ठीक से मार्गदर्शन करने के लिए साइट पर्यवेक्षक द्वारा लोडिंग संचालन की निगरानी की जाती है।

*A. K. S. S.*  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Paryaveran Parisar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

**गड्ढे ढलान विफलता** - बेंच की विफलता से बचने के लिए खान बेंचों के किनारों को उपयुक्त रूप से ढाला जाएगा। बेंच की ऊंचाई से अधिक चौड़ाई के साथ 6 मीटर ऊंचाई रखने की योजना है। बेंच के किनारों और किनारों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ताकि विफलता, दरारों के विकास आदि के किसी भी लक्षण के लिए निरीक्षण किया जा सके। किसी भी बेंच या गड्ढे ढलान की विफलता से बचने के लिए उचित एहतियाती उपाय अपनाए जाएंगे।

**भारी वाहन** - खनिज और ओवरबर्डन के लदान और परिवहन में उचित सावधानी बरती जाएगी। ब्रेक फेल होने की संभावना को कम करने के लिए अच्छा रखरखाव और नियमित परीक्षण आवश्यक है। एक क्षेत्र को एक परीक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहां वाहन ब्रेकिंग सिस्टम की प्रभावशीलता पर नियमित परीक्षण किए जाते हैं।

**व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीई)** - व्यक्तिगत सुरक्षा उपार्यों को लागू किया गया है।

**यातायात** - चूंकि उपयोग किए जाने वाले वाहन संख्या में बहुत कम हैं, इसलिए यातायात की आवाजाही के कारण दुर्घटनाओं का कोई खतरा नहीं है। तथापि, दुलाई सड़कों का उचित रखरखाव किया जाएगा और दुर्घटनाओं से बचने के लिए खनिज परिवहन के लिए चलने वाले वाहनों पर गति सीमा निहित होगी।

**आपदा प्रबंधन योजना** - पूर्ण खनन कार्य प्रबंधन नियंत्रण एवं योग्य खान प्रबंधक के निर्देशन में किया जायेगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद ने खान प्रबंधन द्वारा पालन किए जाने वाले कई स्थायी आदेश, और परिपत्र जारी किए हैं। खदान के गड्ढे में सतही जल के किसी भी प्रवाह से बचने के लिए नालियों और मिट्टी के बांधों की जाँच और नियमित रखरखाव। खनन पिट से पानी निकालने के लिए पम्पों की व्यवस्था। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

खान कार्यालय परिसर एवं खनन क्षेत्र में अग्निशमन एवं प्राथमिक उपचार का प्रावधान रखा जायेगा। सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हेलमेट, काले चश्मे आदि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके उपयोग की नियमित जांच की जाएगी। स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खदान में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण। चेहरों की नियमित सफाई। निर्माण के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी खनन उपकरणों का

नियमित रखरखाव और परीक्षण। ढुलाई सड़कों पर धूल का दमन। प्रतियोगिताओं, पोस्टरों और इसी तरह के अन्य अभियान के माध्यम से सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

**संचार प्रणाली** - विभाग प्रमुख और उनकी लाइन आफ कमांड के लिए एक आंतरिक संचार प्रणाली को बनाए रखा जाना चाहिए। बचाव स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन सेवा स्टेशन, स्थानीय अस्पताल, बिजली आपूर्ति एजेंसी और स्थायी सलाहकार समिति के सदस्यों के टेलीफोन नंबर और पते होना एक और आवश्यक पहलू है।

**सलाहकार समिति** - खान प्रबंधक की अध्यक्षता में एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

**प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं** - खदान प्रबंधन के पास आपात स्थिति में उपयोग के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा है। सभी हताहतों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा।

**जनसंपर्क समूह के कार्य** - सरकारी अधिकारियों और अन्य समाज सेवा संगठन के साथ सौहार्द पूर्ण संबंध बनाए रखा जाएगा। किसी भी आपदा से उत्पन्न दहशत, तनाव, भावनाओं, शिकायतों और आशंकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए खनिकों के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क करना।

**अस्थायी बंद के दौरान देखभाल और रखरखाव** - खदान को अस्थायी रूप से बंद करने के दौरान किसी भी कारण से, नोटिस (एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 एमएमआर, 1961 के नियम 6 के अनुसार) आईबीएम और खान सुरक्षा अधिकारियों को भेजा जाएगा। सूचना के साथ एमसीडीआर, 1988 के नियम 24 के अनुसार प्रपत्र संख्या डी-1 संलग्न किया जाएगा। देखभाल और रखरखाव के संबंध में सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

**गह्वों का संरक्षण** - डीजीएमएस के परिपत्र के अनुसार पट्टे के खदान वाले हिस्से को स्थानीय भाषा में खतरे को प्रदर्शित करने वाले चेतावनी बोर्ड के साथ खुले गह्वे के चारों ओर फेंसिंग द्वारा संरक्षित किया जाएगा।



**क्षेत्र की सुरक्षा** - स्थानीय भाषा में बिना अनुमति के परिसर में 'प्रवेश सख्त वर्जित है' शीर्षक के साथ प्रवेश पर एक बोर्ड प्रदर्शित करके क्षेत्र की रक्षा की जाएगी।

**रखरखाव और निगरानी** - सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह क्षेत्र की निगरानी की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार रखरखाव किया जाएगा। सभी खनन मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किए गए वृक्षारोपण की देखभाल और रखरखाव नियमित आधार पर किया जाएगा। खदान के किसी भी अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में सभी नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

**आपात योजना** - खदान में कहीं भी कुछ भी गंभीर होने का पता चलने पर, फोरमैन या साथी तुरंत निकटतम खनन अधिकारी और प्रबंधक को सूचित करेंगे। आपात स्थिति की सूचना मिलने पर शिफ्ट प्रभारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सामग्री और परिवहन व्यवस्था को तैयार रखा जाए। प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को तैयार रखा जाना चाहिए। डीजीएमएस द्वारा निर्धारित विनियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

**काम करने वाले क्षेत्र का वैचारिक पुनर्वास** - डंपिंग सामग्री के साथ अधिकतम संभव गहराई तक पहुंचने के बाद यानी सतह से अनुमेय गहराई और शेष क्षेत्र को जल भंडारण के रूप में विकसित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए अंतिम गड्ढों के चारों ओर पर्याप्त रूप से मोटी बांध की दीवार का निर्माण किया जाएगा। बांध के चारों ओर पौधरोपण किया जाएगा। इस प्रकार, संकल्पनात्मक स्तर पर उत्पन्न सभी कचरे को तैयार किए गए गड्ढे में पूरी तरह से वापस भर दिया जाएगा।

**आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा** - आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य खनन गतिविधि के दौरान अप्रत्याशित, अचानक हुई घटना के कारण खनन कार्यो को फिर से शुरू करने के लिए सामान्य स्थिति बहाल करना है, जिससे श्रमिकों या किसी मशीनरी या पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। खनन परियोजना में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं।

- खदान में काम करने वालों को दुर्घटना से बचाने के लिए।

*Alehan*  
State Level Environment Impact  
Assessment Authority, M.P.  
(EPCO)  
Paryavaran Parisar  
E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

- खनन कार्यों के दौरान चोट की घटनाओं और गंभीरता को रोकने या कम करने के लिए।
- गंभीर दुर्घटना की स्थिति में तुरंत और पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देना।

किसी भी प्रकार की आपदा चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जीवन की अत्यधिक हानि का कारण बनती है, और संपत्ति और आसपास के वातावरण को भी इस हद तक नुकसान पहुंचाती है कि, समाज के लिए उपलब्ध सामान्य सामाजिक और आर्थिक तंत्र गड़बड़ा जाता है। भारत सरकार ने देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर आपदाओं के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, व्यापक और निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना और आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम 2005 के साथ सामने आया।

मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) का यह भी मानना है कि, हर जिले में एक आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता है जो राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए अपनी दृष्टि और रणनीति को स्पष्ट करे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए) राज्य में आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अलावा, डीएम अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और यह जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) की तैयारी, कामकाज और समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी होगी। जिला आपदा प्रबंधन योजना का दायरा बहुत व्यापक है, और यह आपदाओं के सभी चरणों (पहले, दौरान, बाद और गैर आपदा समय) में लागू होता है। डीडीएमपी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारियों की मदद कर सकते हैं और आपदा स्थिति में सीधे अधीनस्थों को मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

यह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे जिला आपदा प्रबंधन योजना और संबद्ध कार्यों की समीक्षा सहित आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला और उप जिला स्तरीय संस्थागत गतिविधियों को देखें। यह सभी हितधारकों के लिए और उनकी तैयारी के स्तर का अध्ययन करने के लिए एक चेकलिस्ट भी सुनिश्चित करता है।

*A. K. Singh*  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (EPCO)  
 Paryavaran Parisar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक प्रणालियों, संरचनाओं, कार्यक्रमों, संसाधनों, क्षमताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करना और संबंधित जिले में आपदाओं और आपदाओं के खतरों से बचने की तैयारी करना। आपदा चरण के दौरान गतिविधियों में त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, खोज और बचाव को जुटाना, क्षति का आकलन शामिल है। आपदा चरण के बाद गतिविधियों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।



*A. S. Chauhan*  
 State Level Environment Impact  
 Assessment Authority, M.P.  
 (SEIAA)  
 Paryavaran Parisar  
 E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)